



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271175
CG-DL-E-23032026-271175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1413]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 1413]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

का.आ. 1478(अ)— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.5658(E) तारीख 08/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ii, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के गुमला जिले में गुमला बाईपास (एन0एच0 23 और एन0एच0 78 को जोड़ने हेतु) के 0 कि0मी0 से 12.842 कि0मी0 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चैडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 - लेन/4 - लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.12.2025" को "हिन्दुस्तान" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरणमें, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के गुमला जिले में गुमला बाईपास (एन0एच0 23 और एन0एच0 78 को जोड़ने हेतु) के0 कि0मी0 से 12.842 कि0मी0 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: गुमला (331)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रायडीह (2716)					
गांव का नाम: सिलम (376298)					
1	2176	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.72845	गुतियारी देवी पति चुयू भगत
Total				0.72845	

[फा. सं. RW/NH/12014/366/2011/JHR/P-3/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

S.O. 1478(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5658(E) Dated:08/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of “**Gumla By Pass Connecting to NH-23 & NH 78 on the stretch of land from Km. 0 to 12.842**” in the district of Gumla in the state of JHARKHAND.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan Times” dated 24/12/2025, “Hindustan” dated 24/12/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling “Gumla By Pass Connecting to NH-23 & NH 78 on the stretch of land from Km. 0 to 12.842” in the district of Gumla in the state of Jharkhand.

State: JHARKHAND			District: Gumla		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Raidih					
Village: Silam					
1	2176	Government	Agriculture	0.72845	GUTIYARI DEVI W/o CHUYU BHAGAT
Total				0.72845	

[F. No. RW/NH/12014/366/2011/JHR/P-3/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director